

राजस्थान सरकार
इंदिरा गांधी नहर परियोजना

क्रमांक: एफ 3(2) इगानवि/ विशा/ 2019

दिनांक:

अधिसूचना (घोषणा)

31 AUG 2021

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ फव्वारा पद्धति से सिंचाई हेतु चौ. कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर के रामका माईनर के कुल 2 चकों में 3 डिजिगियों के निर्माण हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है। यह घोषणा की जाती है कि निम्नांकित वर्णित भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

यह घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के प्रावधानों के अनुसार एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 उन सब हितकारियों के निमित्त जिनका इससे सम्बंध हो की जाती है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर को कथित भूमि को अवाप्ति के लिए निर्देशित किया जाता है।

प्रकरण में अधिनियम की धारा 11-12 के तहत विजप्ति क्रमांक एफ 3 (2) इगानवि/भूअ/2019 दिनांक 20.05.2020 को जारी की गई थी। पूर्व में बजट की अनुपलब्धता एवं कोरोना महामारी के कारण कार्यवाही में विलम्ब हुआ, जिसे ध्यान में रखते हुये अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत धारा 11-12 की विजप्ति में वैधता अवधि दिनांक 20.05.2021 से 6 माह अर्थात् 19.11.2021 तक बढ़ाई गई है।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी, इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर तथा अधिशाषी अभियन्ता सर्वे एवं अन्वेषण लिफ्ट खण्ड प्रथम, इगानप, रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.) के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरण संलग्न सूची के अनुसार

संलग्न- सूची

आज्ञा से

Eo/-

(देशराज मीणा)

उपशासन सचिव

इंदिरा गांधी नहर विभाग

जयपुर।

31 AUG 2021

जयपुर क्रमांक: एफ 3(2) इगानवि/ विशा/ 2019

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/ प्रस्तुत है:

- 1 श्रीमान् मुख्य अभियन्ता, इगानप, बीकानेर।
- 2 निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री/ अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि कृपया आगामी प्रकाशित होने वाले राजपत्र के असाधारण विशेषांक में प्रकाशित कर एक मुद्रण की प्रति इस विभाग को शीघ्र अवगत कराने की व्यवस्था करावे।
- 3 जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ (राज.)
- 4 अधीक्षण अभियन्ता, साहवा लिफ्ट वृत्त, इगानप, बीकानेर।
- 5 अधिशाषी अभियन्ता, सर्वे एवं लिफ्ट खण्ड प्रथम, इगानप, रावतसर को निम्नलिखित कार्यवाही बाबत प्रेषित है।
(क) इस अधिसूचना को जन संपर्क निदेशालय के माध्यम से दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने की व्यवस्था करे।
(ख) इस विजप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु।
- 6 भूमि अवाप्ति अधिकारी, इगानप, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना का सारांश सूचनार्थ यथोचित सार्वजनिक स्थानों पर चरपा की कार्यवाही कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7 उपखण्ड अधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.) ।
- 8 तहसीलदार (भू.अ.) नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.) ।
- 9 ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जबरसर/ पाण्डूरसर (तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़)
- 10 प्रकोष्ठ-6, इगानप जयपुर को उक्त अधिसूचना (घोषणा) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
- 11 श्री पवन कुमार यादव, वरिष्ठ सहायक, इगानप, जयपुर को गजट नोटिफिकेशन को तुरन्त ऑन-लाइन करने हेतु।
- 12 रक्षा पत्रावली।

(देशराज मीणा)

उपशासन सचिव

इंदिरा गांधी नहर विभाग

जयपुर।

विवरण सूची

धारा-19 के भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत धारा 19 प्रस्ताव की कार्यवाही हेतु वी. कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर प्रणाली में फव्वारा पद्धति से सिंचाई हेतु रामका माईनर माईनर के चक 1 RMK से 2 RMK तक कुल 2 चकों में 3 डिगियों के निर्माण के लिए अवाप्त भूमि ग्राम-पोहडका बारानी, तहसील-रावतसर, जिला-हनुमानगढ़, के निर्माण में प्रभावित काश्तकारों की भूमि का विवरण।

क्र. स.	गाँव का नाम	चक न./ डिगि न.	भूमि धारक का नाम	ख.स.	खसरे का कुल रकबा (हे० में)	अवाप्त की जाने वाली भूमि का रकबा		किस्म भूमि	विशेष विवरण	
						हेक्टर	बीघा/ बिस्वा			
1	पोहडका बारानी	1 RMK डिगि A and 2 RMK डिगि A & B	मनीराम पुत्र रामरख 1.560हे० जेनाराम सोहनलाल पि० देवसीराम बहिब 0.870हे० सूर्या पति देवशीराम 1.026 हे० साहबराम रामचन्द्र रामेश्वरलाल पि० देवीलाल बहिब 1.895हे० कोम मेघवाल सा० पोहडका आ० का० बाद का।	प न 138/ 54						
				मु न 689					बारानी 1	
				कि न 25	0.127	0.127	10 बीघा			
				प न 138/62						
				मु न 690						
				कि न 21	0.202	0.202	16 बीघा			
				कि न 22	0.253	0.253	1 बीघा			
				प न 138/63						
				मु न 697						
				कि न 1	0.203	0.203	16 बीघा	बारानी 1		
				कि न 2	0.253	0.253	1 बीघा			
				कि न 9	0.253	0.253	1 बीघा	बारानी 1		
				कि न 10	0.202	0.202	16 बीघा			
				कि न 11	0.203	0.203	16 बीघा	बारानी 1		
				कि न 12	0.253	0.253	1 बीघा			
				कि न 19	0.253	0.253	1 बीघा	बारानी 1		
				कि न 20	0.202	0.202	16 बीघा			
				कि न 21	0.101	0.101	8 बीघा			
				कि न 22	0.076	0.076	6 बीघा			
				प न 138/55						
				मु न 698						
				कि न 5	0.039	0.039	3 बीघा	बारानी 1		
				कि न 6	0.025	0.025	2 बीघा			
कि न 15	0.064	0.064	5 बीघा	बारानी 1						
कि न 16	0.088	0.088	7 बीघा							
कि न 25	0.164	0.164	13 बीघा	बारानी 1						
Total	3				2.961	11.14 बीघा				